

विनियम-2 के खंड (1) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी मामले का, जो ऐसी परीक्षा के अनुवर्ती सितम्बर की समाप्ति तक समिति द्वारा अनिस्तारित रह गया हो, निस्तारण परीक्षा - समिति द्वारा किया जायेगा।

5 जहां सरकार के शिक्षा विभाग के किसी कर्मचारी या राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के किसी कर्मचारी या किसी डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करना अपेक्षित हो, वहां परिषद् सम्बद्ध कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उस मामले को शिक्षा विभाग के अध्यक्ष या संस्था या डिग्री कालेज के प्रधान या सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्दिष्ट करेगा।

अध्याय - सात

परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता 1 मान्यता समिति या समितियों का गठन निम्नवत् होगा-

(क) परिषद् के पांच सदस्य जिनका नामांकन ऐसी रीति से किया जायेगा कि संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2014 की धारा 20 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट पांच श्रेणियों में से यथासंभव प्रत्येक श्रेणी का कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय,

(ख) परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उप सचिव पदेन समिति के सदस्य सचिव होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि उप निदेशक, संस्कृत तथा सम्बन्धित जनपद के जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा समितियों की बैठक में सम्मिलित होंगे, जबकि उनकी अधिकारिता के क्षेत्र से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया जाय।

टिप्पणी- परिषद् की मान्यता समिति के बैठक उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद् के देहरादून स्थित कार्यालय में अथवा निदेशक/सभापति द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर होगी।

2 परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे-

(एक) (क) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये मानक और नियम विहित करना।

(ख) मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता प्रत्याहरित करने के सम्बन्ध में नियम बनाना; प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्याहरण की संस्तुति राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात् प्रभावी होंगे।

(दो) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना।

(तीन) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना, जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किये जायें।

स्पष्टीकरण- "मान्यता प्रदान करना" का तात्पर्य परिषद् के पाठ्यक्रम के अनुसरण तथा उनकी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये प्रथमबार संस्था को मान्यता प्रदान करने या तत्पश्चात् ऐसी परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग या विषय में मान्यता प्रदान करने से है।

पूर्वमध्यमा/उत्तरमध्यमा स्तर की मान्यता 3

(क) किसी संस्था द्वारा पूर्वमध्यमा/उत्तरमध्यमा के द्वि-वार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में दिया जायेगा जो सम्यक रूप से वांछित प्रमाण पत्रों सहित भरा जायेगा और सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस वर्ष के जिसमें कक्षाओं को खोलने का प्रस्ताव हो के पूर्ववर्ती वर्ष की 31 जुलाई तक बिना विलम्ब शुल्क के सम्बन्धित जनपद के जनपद सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा के पास जमा शुल्क के कोष पत्र की छाया प्रति सहित दो प्रतियों में अवश्य पहुँच जाना चाहिये। आवेदन पत्र की एक प्रति कोष पत्र की मूल प्रति सहित परिषद् सचिव को भेजी जानी चाहिये।

(ख) मान्यता प्रदान किये जाने के लिये कोई आवेदन पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके साथ राज्य कोषागार में आवेदन शुल्क जो निम्नलिखित होगा, जमा किये जाने के साक्ष्य स्वरूप मूल कोषागार चालान न लगा हो।

मान्यता आवेदन शुल्क निम्नलिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

0202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

01- सामान्य शिक्षा

105- भाषा विकास

10- मान्यता शुल्क

(एक) प्रथमबार पूर्वमध्यमा अथवा- 10000/- रूपये
उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिये

(दो) उत्तरमध्यमा परीक्षा के किसी अतिरिक्त वर्ग में
मान्यता के निमित्त- 5000/-रूपये

(तीन) उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिये वन टाइम मान्यता
के निमित्त - 10000/-रूपये प्रतिवर्ग

(चार) उत्तरमध्यमा परीक्षा के लिये किसी अतिरिक्त न्यूनतम 5000/-रूपये के
विषय की मान्यता निमित्त अधीन रखते हुये 2,500 रू0 प्रति विषय

(पाँच) 1 अगस्त से 31 अक्टूबर के मध्य जमा किये जाने वाले पत्रों के साथ
निम्नांकित विवरण के अनुसार शुल्क देय होगा :-

(1) 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक। रू0 1000/-प्रति कलेण्डर मासया उसके भाग के
लिये

(छ) राजकीय कोषागार में जमा शुल्क का कोष-पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना
आवश्यक होगा।

(ग) 31 अक्टूबर के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं
किया जायेगा।

उदाहरणार्थ -यदि कोई संस्था अप्रैल, 2015 से पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष (कक्षा - 9) की
कक्षाये संचालित करना चाहती है, तो उसको 01 अप्रैल से 31 जुलाई, 2014 तक बिना
विलम्ब शुल्क के अथवा 01 अगस्त, 2014 से 31 अक्टूबर, 2014 तक विलम्ब शुल्क के
साथ मान्यता हेतु आवेदन पत्र की दो प्रतियों में सम्बन्धित जनपद के जनपद के सहायक
निदेशक, संस्कृत शिक्षा कार्यालय में तथा एक प्रति में सीधे परिषद् कार्यालय में उपलब्ध
कराना होगा तथा संस्था द्वारा आवेदन किये जाने पर ऐसी संस्था को अप्रैल, 2015 से
प्रारम्भ होने वाले द्वि-वार्षिक परिषदीय सत्र से वर्ष 2016 की पूर्वमध्यमा परीक्षा हेतु
मान्यता पर विचार किया जायेगा।

(घ) अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(ङ) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित राजकीय संस्थाओं
को आवेदन शुल्क से छूट रहेगी तथा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित/अनुरक्षित
संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क
के कोष पत्र सहित जमा करना होगा।

(च) किसी प्रथमा संस्कृत विद्यालय को पूर्वमध्यमा के रूप में मान्यता प्रदान करने
का कोई आवेदन पत्र ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक उसे प्रथमा संस्कृत विद्यालय
के रूप में स्थाई रूप से मान्यता प्राप्त न हुई हो और प्रस्तावित पूर्वमध्यमा की मान्यता
हेतु निदेशक द्वारा उसकी प्रशासन योजना अनुमोदित न हुई हो।

(छ) केवल पूर्व मध्यमा प्रथम, द्वितीय (कक्षा 9-10) अथवा उत्तर मध्यमा प्रथम,
द्वितीय (कक्षा 11-12) की मान्यता किसी संस्था को प्रदान नहीं की जायेगी।

(क) विनियम 3 के खण्ड (क) के अधीन मान्यता के लिये आवेदन-पत्र की दो प्रतियाँ
प्राप्त होने पर जनपद सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा ऐसी स्थलीय जाँच करने

के पश्चात्, जिसे उचित समझे, आवेदन-पत्र की एक प्रति पर मान्यता के लिये संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में 31 अक्टूबर तक प्राप्त समस्त आवेदन-पत्रों पर अपनी आख्या देगा और संस्तुत/असस्तुत करेगा और उसे परिषद् के सचिव के पास भेजेगा। आवेदन-पत्र की अन्य प्रति अपने कार्यालय में अभिलेख हेतु सुरक्षित रखेगा।

(ख) जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा उन्हीं संस्थाओं के मान्यता आवेदन-पत्र स्वीकार किये जायेंगे जो परिषद् के विनियमों/मानक/शर्तों के प्रावधानों के अनुकूल पूरित होंगे तथा त्रुटिपूर्ण अथवा मानक के विपरीत भरे गये आवेदन-पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(ग) मान्यता समिति के समक्ष मान्यता आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व निदेशक या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो संयुक्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा से निम्न पद का न होगा, संस्था की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अपनी आख्या दे सकता है और संस्तुति कर सकता है।

5 संस्था द्वारा मान्यता के लिये आवेदन-पत्र में निम्नलिखित विवरण साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेंगे तथा प्रत्येक विवरण पर निरीक्षण अधिकारी अपनी स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति देंगे :-

(1) जिस विकास खण्ड में विद्यालय खोलने हेतु मान्यता का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है उस विकास खण्ड के कुल पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा विद्यालयों की संख्या।

(2) प्रशासन योजना।

(3) प्रबन्धक/मंत्री अथवा पत्रव्यवहार करने वाले व्यक्ति का नाम, जैसी स्थिति हो।

(4) परीक्षा अथवा परीक्षायें जिसके लिये मान्यता अपेक्षित हैं।

(5) शिक्षण के वर्ग/विषय अथवा विषयों के नाम संस्था जिनकी व्यवस्था करना चाहती है।

(6) विद्यालय हेतु उपलब्ध भूमि/भवन तथा कक्षाओं के लिये स्थान की व्यवस्था जिसके साथ भूमि/भवन/क्रीड़ा स्थल विद्यालय के नाम होने का निजी स्वामित्व के सम्बन्ध में रजिस्ट्री तथा खतौनी की प्रमाणित छाया प्रति अथवा परगनाधिकारी/तहसीलदार/अपर तहसीलदार का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। विद्यालय के नाम भूमि 30 वर्ष की पंजीकृत लीज डीड होनी चाहिये तथा नजूल भूमि के मामले में भूमि विद्यालय के निजी स्वामित्व का प्रमाण पत्र परगना अधिकारी/तहसीलदार/अपर तहसीलदार द्वारा प्रदत्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(7) प्राभूत कोष तथा सुरक्षित कोष तथा निर्दिष्ट जमा एवं बन्धक होने का प्रमाण

(8) प्रत्येक कक्षा अथवा कक्षा के खण्ड में छात्रों की संख्या।

(9) मानक के अनुसार साज-सज्जा, उपकरण तथा पुस्तकालय की व्यवस्था।

(10) मान्यता हेतु आवेदन करने वाले संस्था के पास भवन के चारों ओर चहारदीवारी होना आवश्यक होगा।

(11) संस्था की वित्तीय स्थिति तथा आय के स्रोत एवं धनराशि।

(12) मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था द्वारा संस्कृत शिक्षा अधिनियम 2014 की धारा 11(क) के प्रावधानों को पूर्णतया अंगीकार करने तथा विद्यालय में पठन-पाठन हेतु शिक्षण की व्यवस्था स्वयं करने का प्रबन्ध समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

(13) उत्तरमध्यमा की नवीन मान्यता हेतु विगत दो वर्षों का पूर्वमध्यमा का परीक्षाफल जिसमें सम्मिलित तथा उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार उत्तरमध्यमा

वर्ग/विषय की मान्यता हेतु विद्यालय के विगत दो वर्षों का उत्तरमध्यमा परीक्षा का वर्गवार पृथक-पृथक परीक्षाफल दिया जाना आवश्यक होगा।

(14) जनपद सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था का स्थलीय निरीक्षण करेगा तथा निरीक्षण के समय भवन के चारों दिशाओं के सम्मुख खड़े होकर फोटो खिचवायेगा। जिसकी प्रति निरीक्षण आख्या के साथ संलग्न की जायेगी। निरीक्षण के समय संस्था की चहारदीवारी की फोटो भी दी जाय।

(15) जनपद सहायक, निदेशक संस्कृत शिक्षा यह भी आख्या स्पष्ट रूप देंगे कि मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था की वित्तीय स्थिति संस्था के संचालन हेतु पर्याप्त है अथवा नहीं।

(16) संस्था के प्रबन्धक द्वारा आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रारूप में दस रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र दिया जाना होगा :-

"मैं (पूरा नाम) _____ आत्मज/आत्मजा
प्रबन्धक, _____ विद्यालय _____ का _____ नाम

शपथपूर्वक प्रमाणित करता/करती हूँ कि संस्था को _____ की मान्यता प्रदान करने हेतु मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, वे सभी सत्य हैं। संस्था का प्रयोग छात्रों के नियमित पठन-पाठन के लिये ही किया जायेगा तथा मान्यता प्राप्त होने पर विभाग/परिषद् के निर्देशों/विनियमों का पालन किया जायेगा। आवेदन-पत्र के साथ संलग्नकों अथवा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/साक्ष्य के असत्य पाये जाने पर परिषद्/शासन द्वारा प्रदत्त की गयी मान्यता को प्रत्याहरित किया जा सकता है तथा मेरे विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो विधिक कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य होगी।

ह0 प्रबन्धक

संस्था का पूरा नाम तथा पता

(17) मान्यता आवेदन-पत्र में संस्था द्वारा जिन विषय/विषय वर्ग के अभ्यर्थियों के पठन-पाठन के लिये मान्यता आवेदित हो का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा तथा संस्था में उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा जिन अभ्यर्थियों के अध्ययन/अध्यापन के लिये मान्यता आवेदित की गई है। आवेदित मान्यता से इतर विषय/विषय वर्ग अभ्यर्थियों का संस्था में प्रवेश अनियमित होगा तथा संस्था के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(18) संस्था को उत्तरमध्यमा स्तर की मान्यता सीधे नहीं दी जायेगी।

(19) पूर्वमध्यमा की नवीन मान्यता वन-टाइम दी जायेगी। उत्तरमध्यमा की नवीन मान्यता सर्वप्रथम केवल छः विषयों में प्रदान की जायेगी। यदि शर्तें पूर्ण हैं, तो वन-टाइम मान्यता दी जा सकती है। उत्तरमध्यमा स्तर पर वन-टाइम मान्यता ऐसे वर्गों के सभी विषयों में प्रदान की जा सकती है, यदि संस्था अपेक्षित अर्हता की पूर्ति करती हो।

(20) विद्यालय को एक बार में उत्तरमध्यमा की नवीन मान्यता उन समस्त वर्गों में दी जा सकती है, जिनके लिये वह अपेक्षित शर्तों की पूर्ति करता हों।

(21) परिषद् द्वारा प्रत्येक वर्ष के 28 फरवरी तक मान्यता के समस्त प्रकरणों का निस्तारण प्रत्येक दशा में करा लिया जायेगा।

(22) जिन संस्थाओं को परिषद्/शासन द्वारा सशर्त मान्यता (प्रतिबन्धों की पूर्ति के साथ) प्रदान की गई है, ऐसी संस्थाओं द्वारा अगली कक्षाओं/वर्ग/विषय के

- मान्यता आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, जब तक शासन/परिषद् द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों की पूर्ति न कर दी गयी हो।
- (23) संस्था मान्यता आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगी गई समस्त सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत करेगी।
- (24) उन विद्यालयों की मान्यता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा, जहाँ शासकीय अनुदान का दुरुप्रयोग किया जा रहा हो, अनुशासनहीनता होने की कुख्याति हो तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना की जाती हो।
- 6 कोई अन्य सूचना जो परिषद् द्वारा आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में मांगी जाय, संस्था निरीक्षण प्राधिकारी के माध्यम से परिषद् को प्रस्तुत करेगी।
- 7 जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा अपनी आख्या में संस्था को मान्यता दी जाय अथवा नहीं, का स्पष्ट उल्लेख करें। साथ ही आख्या में यह भी स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का है या शहरी क्षेत्र अथवा टाउन एरिया का है। निरीक्षण अधिकारी आख्या के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे।
- 8 वित्त विहीन संस्थाओं को मान्यता केवल हिन्दी /संस्कृत माध्यम से अथवा दोनों माध्यमों से शिक्षण हेतु प्रदान की जायेगी। अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्राप्त स्ववित्त/अनुदानित विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम से मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि वे इस हेतु संसाधनों/अध्यापकों की व्यवस्था अपने निजी स्रोतों से ही करेंगे तथा विभाग/शासन से पद सृजन एवं अनुदान की मांग नहीं करेंगे।
- 9 परिषदीय परीक्षाओं के प्रयोजन हेतु विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के लिये निम्नलिखित शर्तें होंगी :-
- (अ) पूर्वमध्यमा नवीन की मान्यता वन टाइम हेतु
- (क) अनिवार्य शर्तें -
- (1) पंजीकरण- समिति का पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होना अनिवार्य होगा।
- (2) प्रशासन योजना- विद्यालय की प्रशासन योजना सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है।
- (3) प्राभूत कोष- प्राभूत कोष के रूप में 20,000/- रु0 केवल विद्यालय के नाम जमा एवं निरीक्षण अधिकारी के पद नाम में पाँच वर्षीय सावधि जमा (एफ0डी0) अनुसूचित बैंक में बन्धक होना अनिवार्य होगा।
- (4) सुरक्षित कोष- सुरक्षित कोष के रूप में 10,000/- रुपये केवल विद्यालय के नाम जमा तथा जनपद सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा के पदनाम में पाँच वर्षीय सावधि जमा (एफ0डी0) अनुसूचित बैंक में बन्धक होना अनिवार्य होगा।
- (5) भवन- संस्था के पास भवन के लिये निम्नलिखित माप के पक्के कक्ष होंगे:-
- (क) 6मी0 × 5मी0 या 30 वर्ग मीटर के पांच शिक्षण कक्ष (प्रथमा पूर्वमध्यमा की कक्षाओं सहित), (बालिका विद्यालयों में 6मी0 × 5मी0 या 30 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष विशेष परिस्थिति में मान्य होंगे)।
- (ख) 5मी0 × 4मी0 या 20 वर्ग मीटर के एक कक्ष वैकल्पिक विषय हेतु।
- (ग) 4मी0 × 3मी0 माप के दो प्रशासकीय कक्ष।
- (घ) 6मी0 × 5मी0 माप के विज्ञान एवं गृह विज्ञान हेतु अलग-अलग प्रयोगशाला कक्ष। प्रथमा स्तर पर 7मी0 × 6मी0 माप की एक प्रयोगशाला अलग से होना आवश्यक होगा।

(इ) 5मी0 × 4मी0 या 20 वर्ग मीटर माप का संगीत, सिलाई, कला, कृषि तथा वाणिज्य आदि के लिये एक कामन कक्ष होना अनिवार्य है।

(च) 6मी0 × 5मी0 या 30 वर्ग मीटर माप का पुस्तकों से युक्त पुस्तकालय हेतु एक कक्ष।

(6) भूमि - विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत् है:-

(1) शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगरपालिका/टाउन एरिया) में 500वर्ग मीटर भूमि होना अनिवार्य है।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में 10000 वर्ग मीटर भूमि होना अनिवार्य है। भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी।

(7) क्रीडास्थल- शहरी क्षेत्र के लिये एक बालीबाल खेलने हेतु मैदान (140 वर्गमीटर से कम न होगा) तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये 200 वर्गमीटर मैदान होना अनिवार्य होगा। पर्याप्त क्रीडास्थल विद्यालय परिसर में होना आवश्यक है।

(8) आवेदन शुल्क- मान्यता हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क का मूल कोष पत्र संलग्न होना आवश्यक होगा।

(ख) सामान्य शर्तें -

(1) काष्ठोपकरण- छात्र संख्या के अनुसार पर्याप्त संख्या में काष्ठोपकरण उपलब्ध होना अनिवार्य होगा तथा यह व्यवस्था प्रथमा कक्षाओं के अतिरिक्त होगी।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैंड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

(3) पुस्तकालय- 2000/- रू0 मूल्य के पूर्वमध्यमा स्तरीय पुस्तकों (पाठ्य पुस्तकों से इतर) का होना आवश्यक है।

(4) सामान्य शिक्षण सामग्री प्रथमा कक्षाओं के अतिरिक्त पूर्वमध्यमा स्तरीय 5000/- रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री होना आवश्यक होगा।

(5) विज्ञान शिक्षण सामग्री प्रथमा कक्षाओं के अतिरिक्त पूर्वमध्यमा स्तरीय 10,000/- रू0 की वैज्ञानिक यंत्रादि/उपकरण होना आवश्यक है।

(6) गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री रू0 5000/-रू0 मूल्य की गृह विज्ञान सामग्री होना आवश्यक होगा।

(7) संगीत, कृषि एवं सिलाई विषय के उपकरण रू0 5000/- मूल्य उपकरण होने आवश्यक होंगे।

(8) छात्र संख्या प्रथमा स्तर पर स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों की प्रथमा कक्षा में कम से कम 40 छात्र होने आवश्यक होंगे (बालिका विद्यालयों में यह संख्या 30 से कम न होगी)।

टिप्पणी :-

1. पुस्तकालय, सामान्य शिक्षण सामग्री, विज्ञान, गृह विज्ञान, कृषि एवं सिलाई विषय हेतु सामग्री/उपकरण का सत्यापन निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया गया जायेगा अथवा इतनी ही धनराशि अलग-अलग मद में केवल विद्यालय के नाम जमा एवं जनपद सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा के पदनाम में प्रतिश्रुत होने पर ही स्वीकार होगा।

2. जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा विद्यालय के निरीक्षणोपरान्त लगाये गये समस्त प्रमाण जनपद सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा द्वारा स्वयं प्रमाणित होना अनिवार्य होगा।

(ब) उत्तरमध्यमा नवीन/अतिरिक्त वर्ग (केवल छः विषयों में) तथा अतिरिक्त विषय हेतु

(क) अनिवार्य शर्तें -

(1) पंजीकरण- समिति/सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होनी चाहिये।

(2) पूर्वमध्यमा को मान्यता की अनिवार्य शर्तों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों का पूर्ण होना आवश्यक होगा।

भवन :-

(क) उत्तरमध्यमा (कक्षा 11 व 12) के प्रत्येक वर्ग के लिये 6मी0 × 5 मी0 या 30 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष होने आवश्यक होंगे। बालिका विद्यालयों के लिये कक्षा कक्षों की माप 6मी0 × 5मी0 या 30 वर्ग मीटर मान्य होगी।

(ख) 5 मी0 × 4 मी0 या 20 वर्ग मीटर का एक वैकल्पिक कक्ष होना आवश्यक होगा।

(ग) 7 मी0 × 5 मी0 या 35 वर्ग मीटर माप की प्रयोगशाला प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु होना आवश्यक होगा।

(घ) विज्ञान वर्ग हेतु प्रयोगशाला होगी।

(3) प्राभूत कोष एवं सुरक्षित कोष उत्तरमध्यमा की नवीन मान्यता हेतु प्राभूत कोष रू0 10000/- तथा सुरक्षित कोष रू0 5000/- (पूर्वमध्यमा के अतिरिक्त) विद्यालय के नाम जमा एवं जनपद सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा के पद नाम से बन्धक होना अनिवार्य हैं।

(4) परीक्षाफल गत दो वर्षों का पूर्वमध्यमा का परीक्षाफल का औसत 50 प्रतिशत से किसी भी दशा में कम न हो तथा यदि मान्यता उत्तरमध्यमा अतिरिक्त वर्ग में आवेदित हो तो उत्तरमध्यमा स्तर पर मान्य सभी वर्गों को मिलाकर (पूर्वमध्यमा के अतिरिक्त) औसत परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न होगा। यह परीक्षाफल पूर्वमध्यमा तथा उत्तरमध्यमा में पृथक-पृथक केवल संस्थागत सम्मिलित एवं उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के आधार पर आगर्णित किया जायेगा।

(ख) सामान्य शर्तें :-

(1) छात्र संख्या- उत्तरमध्यमा की नवीन मान्यता हेतु पूर्वमध्यमा के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में छात्र संख्या 40 होना आवश्यक होगा।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प, पाईप लाईन या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

(3) काष्ठोपकरण- उत्तरमध्यमा (कक्षा 11 व 12) के प्रत्येक वर्ग के लिये पर्याप्त काष्ठोपकरण पूर्वमध्यमा के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिये। वैज्ञानिक वर्ग की प्रयोगशाला के लिये प्रयोगात्मक मेंजे होना आवश्यक है।

(4) पुस्तकालय- उत्तरमध्यमा स्तर के 5000/- मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) प्रत्येक वर्ग के लिये होना आवश्यक होगा।

(5) सामान्य शिक्षण सामग्री- उत्तरमध्यमा स्तर हेतु 2000/-रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

(6) विज्ञान उपकरण- उत्तरमध्यमा वैज्ञानिक वर्ग हेतु 5000/- रू0 मूल्य के विज्ञान उपकरण होना आवश्यक होंगे।

(7) गृह विज्ञान शिक्षण सामग्री- उत्तरमध्यमा स्तर हेतु 2000/- रू0मूल्य की सामग्री होना आवश्यक होगी।

(8) 7 मी × 5 मी0 का कम्प्यूटर कक्ष जिसमें पांच कम्प्यूटर स्थापित हों। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होगी।

नोट :- उत्तरमध्यमा अतिरिक्त विषय/विषयों में मान्यता हेतु भूमि के स्वामित्व, प्राभूत एवं सुरक्षित कोष के साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
उत्तरमध्यमा नवीन (प्रथमबार) हेतु (साहित्य, व्याकरण, वेद ज्योतिष)।

मानविकी वर्ग हेतु-

(क) अनिवार्य शर्तें -

(1) पंजीकरण- समिति/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होनी चाहिये।

(2) पूर्वमध्यमा की मान्यता की अनिवार्य शर्तों के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :-

भवन :-

(क) 5 मी0×5मी0 या 25 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 5 मी0 × 4मी0 या 20 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

(ख) 5मी0×4मी0 या 20 वर्ग मीटर माप का एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 5मी0 × 4मी0 या 20 वर्ग मीटर माप का एक नृत्य कला कक्ष। संगीत विषय की मान्यता के लिये।

(घ) 5मी0×4मी0 या 20 वर्ग मीटर माप का एक कला कक्ष। संगीत विषय की मान्यता के लिये।

(ङ) 6मी0 × 5मी0 या 30 वर्ग मीटर माप का गृह विज्ञान, भूगोल आदि के लिये एक प्रयोगशाला अलग-अलग होना आवश्यक होगा।

(च) 6मी0 × 5मी0 या 30 वर्ग मीटर माप का एक कम्प्यूटर कक्ष जिसमें 3 कम्प्यूटर यंत्र उचित विद्युत व्यवस्था जनरेटर सहित होना अनिवार्य है। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होगी।

(3) प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध - उत्तरमध्यमा नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

नोट- उपर्युक्त अनिवार्य शर्तों में किसी भी प्रकार की शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) सामान्य शर्तें-

(1) काष्ठोपकरण- (कक्षा 11) व 12 के प्रत्येक वर्ग के लिये पर्याप्त सेट सज्जा पूर्वमध्यमा के छात्र संख्या के अतिरिक्त होना चाहिये।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प, पाइप लाइन या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

(3) पुस्तकालय- उत्तरमध्यमा स्तर के 5000/- मूल्य की पुस्तकें (पाठ्य पुस्तकों से इतर) होना आवश्यक होगा।

(4) सामान्य शिक्षण सामग्री- 2000/- रू0 मूल्य की सामान्य शिक्षण सामग्री आवश्यक होगी।

वैज्ञानिक वर्ग हेतु

(क) अनिवार्य शर्तें :-

(1) पंजीकरण- समिति/सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत तथा आतिथि नवीनीकृत होनी चाहिये।

(2) पूर्वमध्यमा की मान्यता की शर्तों के साथ-साथ निम्नांकित शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा :-

भवन :-

(क) 5 मी0×4मी0 या 20 वर्ग मीटर माप के दो शिक्षण कक्ष। बालिका विद्यालयों में 5 मी0×4मी या 20 वर्ग मीटर माप के शिक्षण कक्ष मान्य होंगे।

(ख) 5मी0×4मी0 या 20 वर्ग मीटर मापका एक वैकल्पिक कक्ष।

(ग) 6मी0 × 5मी0 या 30 वर्ग मीटर माप का भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर आदि के लिये अलग-अलग प्रयोगशालायें होना अनिवार्य होगा। साथ ही 3 कम्प्यूटर यंत्र उचित व्यवस्था जनरेटर सहित होना आवश्यक होगा। कम्प्यूटर विषय हेतु निर्धारित अन्य शर्तें भी पूरी करनी होंगी। प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष, परीक्षाफल, छात्र संख्या के प्रतिबन्ध उत्तममध्यमा नवीन/अतिरिक्त वर्ग में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मान्य होंगे।

(ख) सामान्य शर्तें:

(1) काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं सामान्य शिक्षण सामग्री पूर्वमध्यमा के अनुसार मान्य होंगे।

(2) शौचालय एवं पीने के पानी के लिये हैण्ड पम्प या अन्य कोई समुचित व्यवस्था पूर्ण होना आवश्यक है।

(3) विज्ञान उपकरण हेतु 5000/- रुपये मूल्य का वैज्ञानिक उपकरण होना आवश्यक होगा।

(4) प्रत्येक प्रयोगशाला के लिये तीन प्रयोगात्मक मेजें होना आवश्यक होंगी। कम्प्यूटर विषय की मान्यता हेतु मानक (पूर्वमध्यमा/उत्तरमध्यमा)

(1) प्रयोगशाला में एक मशीन पर दो से ज्यादा छात्र कार्य नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये। मशीनों की संख्या उसी आधार पर निश्चित की जाय।

(2) प्रयोगशाला में न्यूनतम व्यवस्था अनिवार्य रूप से निम्नवत् होगी :- (क) प्रति विद्यालय 3 कम्प्यूटर मशीन लेटेस्ट प्रोसेसर सहित।

(ख) एक प्रिन्टर।

(ग) UPS प्रति मशीन के आधार पर होना आवश्यक है।

(घ) पाठ्यक्रम के अनुसार साफ्टवेयर की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है,

(ङ) प्रयोगशाला के लिये प्रति मशीन के लिये न्यूनतम 10 वर्ग मीटर का स्थानविद्यालय में होना अनिवार्य है। प्रयोगशाला साफ सुथरी एवं पक्के कमरे में हो।

(च) प्रयोगशाला के लिये पर्याप्त विद्युत एवं जनरेटर की व्यवस्था अनिवार्य है।

(छ) प्रति कम्प्यूटर मशीन पर कार्य करने हेतु एक मेज तथा दो कुर्सियाँ आवश्यक होंगी।

(3) छात्र संख्या के आधार पर उपर्युक्त व्यवस्थाओं में आनुपातिक वृद्धि किया जाना चाहिये।

10- मान्यता प्राप्त संस्था विनियमों एवं निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुये निम्नांकित प्रतिबन्धों का भी अनुपालन करेगी :-

(क) परिषद् द्वारा जिस तिथि से संस्था को कोई मान्यता प्रदान की जाती है वह उस तिथि से प्रभावी मानी जायेगी, जब प्रबन्धक/संस्थाध्यक्ष कक्षा संचालन की लिखित सूचना जनपद सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा को देगा।

(ख) संस्था में सभी शिक्षण कर्मी परिषद् विनियमों के अध्याय-दो के विनियम-1 के परिशिष्ट-1 (क) में विहित अर्हता के अनुसार नियुक्त होने चाहिये।

(ग) जो संस्था बनी ही नहीं है वे ऐसे विनियमों का पालन करेगी जो परिषद् द्वारा मान्यता

प्राप्त संस्थाओं पर लागू होते हैं तथा अधिनियम एवं विनियमों के प्राविधानों से असम्बद्ध नहीं हैं।

(घ) संस्था विभाग द्वारा निर्मित आदेशों का अनुपालन करेगी।

(ङ) संस्था द्वारा मान्य कक्षाएँ विद्यालय परिसर के अन्दर ही चलाई जायेगी।

(च) संस्था द्वारा वर्ग/विषयों के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग अथवा विषय में कक्षाएँ संचालित नहीं करेगी और न ही ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित करायेगी। केवल मान्य वर्ग/विषयों की कक्षाएँ ही संचालित की जायेगीं

(छ) छात्र संख्या में वृद्धि होने पर नये अनुभाग खोलने के पूर्व कक्षा-कक्ष, काष्ठोपकरण एवं अन्य शिक्षण सामग्रियों की अपेक्षित व्यवस्था की जायेगी तथा जनपद सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा अधिनियम की, 2014 की धारा 11 (ख) के अन्तर्गत कक्षा में नया अनुभाग खोलने की अनुज्ञा दे सकता है।

(ज) संस्था परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में (परिषद् के संकलन एवं मूल्यांकन कार्य आदि सम्मिलित हैं) अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी तथा परिषद्/विभाग द्वारा किसी अधियाचन पर अपने शिक्षक, भवन एवं उपस्करण आदि को परिषदीय/विभाग द्वारा किसी अधियाचन पर अपने शिक्षक, भवन एवं उपस्करण आदि को परिषद् के अधीन प्रस्तुत करेगी तथा परिषद्द्वारा दिये गये समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन करेगी।

(झ) जब तक कि शासन द्वारा किसी मामले विशेष की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये अन्यथा आदेश न दिये जायें, वह किसी प्रतिद्वन्दी परीक्षा (पूर्वमध्यमा अथवा उत्तरमध्यमा) के लिये परीक्षार्थियों को तैयार नहीं करेगीं और न उनमें बैठने देगी, जबकि उसी प्रकार की तथा समान स्तर की परीक्षा परिषद्द्वारा आयोजित की जाती हैं।

(ञ) जिन संस्थाओं द्वारा प्राभूत के रूप में अचल सम्पत्ति जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा के पद नाम बन्धक है ऐसी अचल सम्पत्ति का विक्रय अथवा किसी अन्य का हस्तान्तरण सिवाय सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(ट) परिषद् द्वारा संस्था को जिन अभ्यर्थियों के पठन-पाठन के लिये मान्यता प्रदान की गयी है संस्था में उसी प्रकार के अभ्यर्थियों का प्रवेश/अध्यापन कराया जायेगा अर्थात् बालक के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय में बालक तथा बालिका के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालय में बालिका अभ्यर्थी ही अध्ययन के पात्र होंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां स्थानीय रूप से बालिका विद्यालय उपलब्ध नहीं है, बालिकायें बालकों की संस्था में जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर प्रविष्ट की जा सकेंगी। ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र के बालिका विद्यालयों के रूप में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बालकों का प्रवेश किसी भी दशा में नहीं लिया जायेगा।

(ठ) परिषदीय परीक्षाओं में सामूहिक नकल/प्रश्न पत्रों की गोपनीयता भंग करने की दोषी पायी गयी किसी भी संस्था की मान्यता परिषद्/शासन द्वारा प्रत्याहरित की जा सकती है।

(ड) संस्था द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने अथवा परिषद्/विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा परिषदीय परीक्षाओं के संचालन में किसी गम्भीर अनियमितता बरतने का दोषी पाये जाने पर संबन्धित संस्था की मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ढ) पूर्वमध्यमा/उत्तरमध्यमा स्तर पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होते तो प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी और पुनः संचालन हेतु मान्यता समिति की स्वीकृति से प्राप्त की जायेगी।

(ण) उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष स्तर पर पूर्व प्रदत्त किसी वर्ग/विषय की मान्यता, जिसमें

कक्षा संचालित न की गयी हो अथवा कुछ समय तक कक्षा संचालित करने के बाद बन्द कर दी गयी हो तो कक्षा संचालित न करने की दशा में मान्यता पत्र निर्गत होने के दो वर्ष तक और यदि कक्षा संचालित करने के बाद बन्द कर दी गयी हो, तो कक्षायें बन्द होने के दो वर्ष तक ही प्रभावी रहेगी। इस अवधि में कक्षायें संचालित नहीं की जाती, तो प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(त) छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुये किसी वर्ग में प्रदत्त मान्यता के वैकल्पिक विषयों में जिसमें शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री, साज-सज्जा आदि की अतिरिक्त आवश्यकता न हो, एक या एक से अधिक वैकल्पिक विषयों का उसी वर्ग के अन्तर्गत समान वैकल्पिक विषय/विषयों में परिवर्तन सम्बन्धित परिषद् के सचिव द्वारा किया जा सकता है परन्तु ऐसे विषय/विषयों के परिवर्तन की अनुमति मान्यता पत्र निर्गत होने के एक वर्ष तक ही प्रदान की जा सकती है।

(थ) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को परिषद् नियम संग्रह/पाठ्य विवरण प्राप्त कर निर्धारित पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम की अद्यतन जानकारी रखना आवश्यक होगा।

(द) मान्यता प्राप्त संस्था, विद्यालय में पठन-पाठन एवं अन्य सहपाठ्यगामी क्रियाकलापों का स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय रहेगी तथा विद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल उन्नत करने की दिशा में सदैव तत्पर रहेगी।

(ध) जिन संस्थाओं को परिषद्/शासन द्वारा सशर्त मान्यता प्रदान की गयी है ऐसे विद्यालयों को निर्धारित शर्तों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करना अनिवार्य होगा। शर्तों के निर्धारित अवधि में पूरा न करने की दशा में संस्था की मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती है अथवा निलम्बित की जा सकती है।

11 कोई संस्था, जिसे परिषद् द्वारा पूर्वमध्यमा या उत्तरमध्यमा कालेज के रूप में मान्यता प्राप्त हो, परिषद् की पूर्वानुज्ञा के बिना और तब तक बन्द नहीं किया जायेगा, जब तक कि बन्द किये जाने के प्रस्तावित दिनांक से कम से कम एक वर्ष पूर्व लिखित नोटिस, जिसमें संस्था को बन्द करने का कारण उल्लिखित किया जायेगा, परिषद् के सचिव को और उसकी एक प्रति निदेशक को रजिस्ट्री डाक से न भेज दी जाय। परिषद् संस्था को ऐसी शर्तों पर बन्द किये जाने और संस्था के अभिलेख को किसी अन्य संस्था या प्राधिकारी को, जिसे वह उचित समझे, अन्तरित किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है।

12 (क) जब निदेशक उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2014 की धारा 32 की उपधारा (3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला परिषद् को उसकी मान्यता के प्रत्याहरण के लिये विचारार्थ भेजता है, तो परिषद् प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगी कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।

(ख) विनियम 12 (क) के अनुसार परिषद् द्वारा प्रबन्धक को निर्गत कारण बताओं नोटिस का उत्तर प्रबन्धक द्वारा एक माह के भीतर उप निदेशक, संस्कृत शिक्षा तथा परिषद् को प्रेषित किया जायेगा। परिषद् द्वारा प्रबन्धक के प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार किया जायेगा। विचारोपरान्त परिषद् द्वारा उस संस्था के प्रबन्धक को चेतावनी दी जायेगी कि संस्था नियत अवधि के भीतर दोष अथवा दोषों को दूर करे अन्यथा उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में से काट दिया जायेगा। संस्था द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में यदि परिषद् संस्था की मान्यता प्रत्याहरित करने का निश्चय करती है तो अपनी संस्तुति शासन को भेजेगी। शासन से अनुमोदोपरान्त परिषद् संस्था का नाम मान्यता सूची में से काट देगी।

(ग) परिषद् निदेशक की संस्तुति पर किसी संस्था को मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में पुनः रख सकती है अथवा यदि संस्था की मान्यता एक अथवा अधिक वैकल्पिक विषयों में प्रत्याहरित की गई थी तो पुनः उन विषयों में अभ्यर्थियों को तैयार करने का अधिकार दे सकती है।

13. प्रत्येक संस्था जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा गठित पैनल द्वारा अपने विद्यालय के निरीक्षण/आकस्मिक निरीक्षण के लिये तैयार रहेगी। निरीक्षण अधिकारी पैनल निरीक्षण हेतु जनपद स्तर पर उपलब्ध अवकाश प्राप्त संस्थाओं के प्रधान/अध्यापकों, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा लब्ध प्रतिष्ठ व्यक्तियों का पैनल गठित करेगा। एक पैनल में सदस्यों की संख्या संयोजक सहित तीन से पांच हो सकती है। पैनल निरीक्षण के समय संस्था द्वारा समस्त अभिलेख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। पैनल निरीक्षण की आख्या यथाशीघ्र परिषद्/विभाग को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

14. जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, निरीक्षण के समय के पूर्व में प्राप्त संस्था के फोटो खिंचवाकर अपनी आख्या के साथ संलग्न करेंगे जिससे पूर्व फोटो का सत्यापन हो सके।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या-623/XXIV/(1)/ 2013-R-467/2011 दिनांक-27 जून 2013 के द्वारा "उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011" के प्रख्यापन के उपरान्त अशासकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक, प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता शर्तों के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त शासनादेशों को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय प्रस्ताव के दृष्टिगत "उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011" के प्रस्तर-17 के अन्तर्गत अशासकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त/ दिशा-निर्देश/ प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है-

1. **विद्यालय की मान्यता-** सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वधारी अथवा नियन्त्रित विद्यालयों को छोड़कर प्रत्येक विद्यालय को उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 के अनुसार मान्यता हेतु आवेदन करना होगा। शासन द्वारा समय-समय पर मान्यता आदि शर्तों में किये जाने वाले संशोधन सभी विद्यालयों पर यथाविधि लागू रहेंगे।

2. **आवेदन की अर्हता-** विद्यालयों की मान्यता प्राप्त करने के लिए विधि द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। संस्कृत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा का माध्यम संस्कृत/हिन्दी होगा-

- (1) प्राइमरी से कक्षा 5 तक संस्कृत प्राथमिक विद्यालय
- (2) कक्षा 6 से कक्षा 8 तक संस्कृत प्रथमा विद्यालय (उच्च प्राथमिक)

3. **मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया-**

संस्कृत विद्यालयों की मान्यता हेतु उत्तराखण्ड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम 17 में उल्लिखित स्वघोषणा-सह-आवेदन पत्र (प्रपत्र-1) संबंधित जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

मान्यता हेतु आवेदन पत्र (स्व घोषणा पत्र) समस्त प्रविष्टियों को पूर्ण करते हुए वांछित संलग्नको सहित पाँच प्रतियों में संबंधित जिले के सहायक निदेशक के कार्यालय में आगामी वर्ष हेतु निम्न समय सारणी के अनुसार प्राप्त होने चाहिए-

- दिनांक 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक - निर्धारित शुल्क के साथ
- दिनांक 01 अगस्त से 31 अगस्त तक - विलम्ब शुल्क के साथ

4. **आवेदन शुल्क-** संस्कृत/हिन्दी माध्यम की मान्यता हेतु रू0 5000/- (पाँच

हजार रुपये)। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन करने पर दिनांक 16 अगस्त तक 200 रुपये और 31 अगस्त तक 500 रुपये विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। मान्यता आवेदन शुल्क निम्नांकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा:-

0202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

01- सामान्य शिक्षा

105- भाषा विकास

10- मान्यता शुल्क

कोषपत्र की मूलप्रति जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रेषित की जायेगी।

5. शिक्षा का माध्यम- प्रस्तर 2 में अंकित विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम संस्कृत/हिन्दी होगा।

6. मान्यता हेतु समिति की प्रक्रिया-उत्तराखण्ड निशुल्क: एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम -17 के अनुसार विद्यालयों की मान्यता हेतु समिति का गठन एवं मान्यता की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

7. मान्यता के मानक-

(क) छात्र अध्यापक अनुपात:- विद्यालयों में छात्र एवं अध्यापको का अनुपात बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्राविधानानुसार रखा जाना अनिवार्य है।

(ख) आधारभूत संरचना- प्रत्येक विद्यालय को शिक्षको की उपलब्धता के साथ-साथ निम्न आधारभूत संरचना की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है-

(1) भवन- विद्यालय सोसाइटी को आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराये/लीज पर उपलब्ध होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जायेगा। किरायानामा विधिवत पंजीकृत होना एवं विद्यालय की वित्तीय स्थिति सुदृढ होना आवश्यक है।

(2) बालक बालिका तथा अध्यापकों हेतु पृथक-पृथक शौचालय का उपलब्ध होना आवश्यक है।

(3) विद्यालय में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध होनी आवश्यक है।

(4) खेल क मैदान विद्यालय के साथ संलग्न होना चाहिए, जो छात्रों के खेल हेतु पर्याप्त हो। अत्याधिक आबादी वाले क्षेत्रों में जहां विद्यालय स्थित है और खेल का स्थान उपलब्ध न हो ऐसे विद्यालय के निकटस्थ नगर पालिका आदि के पार्क/खेल के मैदान अनुमति पर लिया जा सकता है।

(5) प्रत्येक कक्षा के लिए एक-एक कक्ष उपलब्ध होना आवश्यक है।

(6) कार्यालय सह भण्डार सह प्रधानाध्यापक हेतु न्यूनतम एक कक्ष उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(7) विद्यालय में एक पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(ग) साज-सज्जा एवं उपकरण- विद्यालय में छात्र-छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार उपयुक्त आकार की कुर्सी, स्टूल, बैंच, मेज तथा अध्यापकों के लिये कुर्सी-मेज उपलब्ध होना आवश्यक है।

(घ) पुस्तकालय- कक्षा- 5 तक के छात्रों के लिये छात्र उपयोगी विभिन्न विषयों की कम से कम 100 पुस्तकों तथा कक्षा-8 तक के लिए कम से कम 200 पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिये। शब्द कोश सन्दर्भ पुस्तकें तथा अध्यापकोपयोगी पुस्तकें भी उपलब्ध होनी अनिवार्य है।

(ड) विज्ञान सामग्री—विद्यालय में कम से कम 3 हजार रुपये की विज्ञान सामग्री उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(च) श्रव्य-दृश्य सामग्री— प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भूगोल नक्शे, ग्लोब, विषय से सम्बन्धित चार्ट इत्यादि उपलब्ध होना आवश्यक है।

(छ) वित्तीय शर्तें— मान्यता की शर्तों के अतिरिक्त एक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालय के लिये निम्नलिखित शर्तों का पालन भी अनिवार्य है।

(ज) विद्यालय का संदाय रुपया 5,000/ मूल्य की धनराशी का होगा। वह संदाय—

1. नकद धनराशी।
2. सरकारी जमानत।
3. अचल सम्पत्ति के रूप में होगा।

टिप्पणी :- (क) यदि संदाय नकद धनराशी अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जनपद सहायक निदेशक (संस्कृत शिक्षा) के पदनाम प्रतिश्रुत होना चाहिये। अचल सम्पत्ति के विषय में प्रबन्धक अथवा किसी अन्य अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्ति बेचने तथा तदर्थ विधिपत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, निरीक्षण अधिकारी को एक अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथ पत्र भी लिया जायेगा।

(ख) राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को संदान अथवा स्थायी कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु किसी ऐसी संस्था को संचालित करने के लिये सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिये आवश्यक प्राविधान होना चाहिये।

(झ) मानव संसाधन— अध्यापकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता शिक्षा अधिकार अधिनियम -2009 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी एन.सी.टी.ई द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार होगी।

(ञ) शुल्क— विद्यालय में छात्रों से शिक्षण शुक्ल एवं मंहगाई शुल्क मिलाकर कुल उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा, जो शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान एवं अध्यापक/कर्मचारियों के कल्याणकारी योजना प्रबन्धकीय अंशदान का वहन करने के लिये पर्याप्त हो। उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के प्रस्तर 17(5)(ट) में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय छात्रों से प्रभारित किये जाने वाले शुल्क का विवरण जनपद सहायक निदेशक (संस्कृत शिक्षा) को उपलब्ध करायेंगे तथा विद्यालय सूचना पट्ट पर भी चस्पा करेंगे।

नोट :- भवन शुल्क लेना वर्जित है तथा सभी विद्यालय अपना शुल्क प्रास्पेक्ट्स में प्रकाशित करेंगे।

(ट) प्रवेश— विद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रों से कोई लिखित या मौखिक परीक्षा नहीं ली जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत ही सुनिश्चित की जायेगी।

(द) पाठ्यक्रम- विद्यालय द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकारी क्रमशः एन.सी.ई.आर.टी./संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा।

8. विद्यालयों की मान्यता का प्रत्याहरण- विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के नियम-18 में निहित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।
9. विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि हिन्दी में एवं देववाणी संस्कृत में होगा संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में पढाई जायेगी। विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जायेगा। विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों का प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
10. जब निदेशक अधिनियम की धारा 32 के खण्ड की उपधारा (3) के अन्तर्गत किसी संस्था का मामला उप निदेशक संस्कृत शिक्षा को उसकी मान्यता प्रत्याहरण के लिये विचार के लिये भेजा है तो उप निदेशक संस्कृत शिक्षा प्रबन्धक को कारण बताने को कहेगा कि उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही क्यों न की जाय।
11. उक्त उपनियम (10) के अनुसार उप निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा प्रबन्धक को निर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रबन्धक एक माह के भीतर जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा तथा उप निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रेषित करेगा। जनपद सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा प्रबन्धक से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उस पर अपनी आख्या, यथास्थिति अपनी संस्तुति उप निदेशक, संस्कृत शिक्षा को प्रस्तुत करेगा। उपनिदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा उस संस्था के प्रबन्धक को चेतावनी दी जायेगी कि संस्था नियत अवधि के भीतर दोष अथवा दोषों को दूर करें अन्यथा उसका नाम मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में से काट दिया जायेगा। संस्था द्वारा निर्दिष्ट निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में यदि मान्यता समिति संस्था की मान्यता प्रत्याहरित करने का निश्चय करती है तो अपनी संस्तुति उप निदेशक, संस्कृत शिक्षा को भेजेगी। तदनुसार उप शिक्षा निदेशक संस्था का नाम मान्यता प्राप्त सूची में से काट देगा।

अध्याय-आठ

वित्त-समिति

- 1- वित्त समिति परिषद के वित्त सम्बन्धी समस्त मामलों में परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगी।
- 2- उसमें निम्नलिखित होंगे-
 - (क) परिषद के पांच सदस्यों जिनका चयन ऐसी रीति से किया जायेगा कि संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2014 की धारा 20 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट पांच श्रेणीयों में से यथासम्भव प्रत्येक श्रेणी के कम से कम एक सदस्य का प्रतिनिधित्व हो जाय।
 - (ख) परिषद का सचिव उसका पदेन सदस्य-सचिव होगा।
- 3- वित्त समिति, परिषद के विचारार्थ, विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षाओं से सम्बन्धित अन्य बातों के लिये वसूल किये जाने वाले शुल्क के लिये संस्तुति करेगी।
- 4- वित्त समिति, परिषद के विचारार्थ, परिषद के विभिन्न लाभकारी कार्यों के लिये पारिश्रमिक दर की भी संस्तुति करेगी।
- 5- वित्त समिति परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये परिषद सम्बन्धी किसी अन्य वित्तीय मामले के सम्बन्ध में विचार करेगी और अपनी संस्तुति देगी।